अधि० वादी उप० हो साक्ष्य वादी उप० नहीं समय चाहा हो वास्ते साक्ष्य वादी दि० 29/5/19 को पेश हो

9 5/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब
अवकाश पधारे है। सो पत्रावली
मय आदेशानुसार दिनांक 18/6/19
को पेश हो।

18 6/19 अधि० वादी उप० हो साक्ष्य वादी उप० नहीं समय चाहा हो वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11.7.19 को पेश हो।

11 7/19 पत्रावली पेश हुई। पी. ओ. साहब
बाहर पधारे है। सो पत्रावली
मय आदेशानुसार दिनांक 31/7/19
को पेश हो।

31 7/19 अभिभाषक हड़ताल उपस्थित है। पी.ओ. साहब
बाहर पधारे है सो पत्रावली मय
आदेशानुसार दिनांक 23/8/19 को पेश हो।

24 8/19 नियत तिथि को अवकाश हो जाने से आज पेश। अधि० वादी उप० हो साक्ष्य हेतु अधि० वादी समय चाहते हैं वास्ते साक्ष्य वादी दि० 18/10/19 को पेश हो इतला तहरीर साक्ष्य वादी में मुख्त्यार सिंह, वाबुराम में उप० होकर शपथ पत्र पेश किये एवं रहे असल दस्ता० पेश करना चाहते हैं सो पेश करनें असल दस्तावेजात साक्ष्य वादी दि० 18/10/19 को पेश हो।

मुख्त्यार सिंह

18 10/19 अभिभाषक हड़ताल उपस्थित है। पी.ओ. साहब
बाहर पधारे है सो पत्रावली मय
आदेशानुसार दिनांक 11/12/19 को पेश हो।

11 12/19 अधि० वादी उप०। बहस सुनी गयी जो मुख्तसर रूप से वाद के अनुसार रही। वादी कामुख्तसर रूप से कथन है कि ख०नं० 170 रकबा 1.40 हैक्टेयर वाकै ग्राम रतवाई तहसील टोडाभीमसिंह बंशी पुत्र होगा जाति सैनी के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी जिसके वैधानिक वारिस प्रतिवादीगण क्रं. 1 ता 8 है प्रतिवादीगण द्वारा दि० 1.5.2014 को उक्त आराजी को 3,15,000/- रूपये में बेचना तय कर 75000/- रूपये नकद प्राप्त कर प्रतिवादीगण द्वारा आराजियात मुतनाजा का कब्जा वादी का करवा दिया तथा शेष राशि वादी से प्राप्त कर उनके

क्रमांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हक में निष्पादन पंजीबद्ध करवा तब कर लिया गया। जिस पर मौके पर खातेदार काश्तकार उक्त आराजी को कोई या मौके पर काबिज है प्रतिवादीगण का कोई संबंध लेशमात्र नहीं थी उक्त आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा 25000/- रु. प्रतिफल प्राप्त करने के बाद वादी को कब्जा सुपुर्द करने के बाद हक स्वामित्व वादी में निहित हो चुके थे वादी द्वारा बकाया राशि अदा कर नहर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा देना रहा। केवल प्रतिवादीगण के नाम कागजी बैनामा रहा है। उक्त आराजी के प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विक्रय कर प्रतिफल प्राप्त कर लेने के बाद भी प्रतिवादीगण की नियत में बेईमानी आ गयी तथा वे आराजी को अन्य व्यक्ति को बैनामा कर अन्तरित करने पर आमादा थे दिनांक 1.11.2019 को प्रतिवादीगण ने एलानिया धमकी दी कि वे विक्रय शुदा उक्त आराजी को अन्य व्यक्ति को अन्तरण कर मुन्तकिल कर वादी को उससे बेदखल करवा देंगे जिस पर यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अत: वादवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने जाकर प्रतिवादीगण को नीचे स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे खा. ख. नं. 170 रकबा 1.40 हेक्टेयर वाके ग्राम रतवाई तहसील टोडारायसिंह से वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत वादी को उक्त आराजी के विधिक कब्जे से बेदखल नहीं करें। आराजी को अन्तरण मुन्तकिल नहीं करें बावत रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वादी को कब्जा कास्त करने से मना नहीं करें। वैसा मजाहमत नहीं करें।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण नोटिस तामील की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये जिस पर उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गयी।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता सं. 164 सम्वत 2068-71 वाके ग्राम रतवाई, इकरारनामा (बैनामा) पेश किये तथा साक्ष्य वादी हेतु वादी सुरजनसिंह व गवाह नाथूराम के शपथ पत्र पेश किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी अन्य आराजी के साथ प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होना जमाबंदी खतौनी नं. 164 सम्वत 2068-71 वाके ग्राम रतवाई से प्रमाणित है वादी इकरारनामा के आधार पर वाद पेश कर रहा है इकरारनामा के आधार पर वादी हस्तगत वाद में न्यायालय हाजा से कानूनन किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी एवं हकदार नहीं है प्रतिवादीगण के विरुद्ध जो कि वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार-काश्तकार हैं कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय (न्यायालय हाजा) को सुनवाई का कोई अधिकार हासिल नहीं है इकरारनामे के आधार पर मात्र सिविल न्यायालय ही सुनवाई का अधिकार रखता है इस प्रकार वाद वादी संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दि० 11/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ० सूरजसिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह